संख्याः1588/VII-II-10/151–ख/2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 मई , 2010

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तरखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः349/भ0नि0/2009–10 दिनांक 18 मई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, देहरादून के कार्यालय भवन निर्माण हेतु **रू0 722.30 लाख** के पुनरीक्षित आगणन के विपरीत टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत **रू0 703.12 लाख (रू0 सात करोड़ तीन लाख बारह हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना हेतु पूर्व में शासनादेश संख्याः 2981/VII-I/151-ख/2006 दिनांक 11.10.2006, शासनादेश संख्याः1244/VII-I/151-ख/2006 दिनांक 20.03.2007, शासनादेश संख्याः 2946/VII-II-07/151-ख/ 2006 दिनांक 12.09. 2007, शासनादेश संख्याः 7111/VII-II-07/151-ख/2006 दिनांक 28.01.2008,शासनादेश संख्याः 1870/VII-II-07/151-ख/2006 दिनांक 21.04.2008 एवं शासनादेश संख्याः 538/VII-II-10/151-ख/2006 दिनांक 29.03.2010 द्वारा क्रमशः स्वीकृत धनराशि **रू0125.00 लाख, 97.19 लाख, 40.00 लाख, 50.00 लाख, रू0 163.70 लाख एवं रू0 20.00 लाख अर्थात कुल रू0 495.89 लाख** के अतिरिक्त **रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि संबंधित को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन किया जायेगा। यह आवंटन किसे ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लघंन होता हो। यह करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपयोग भवन निर्माण/आवास संबंधित परिव्यय के अनुरूप ही किया जायेगा। उक्त धनराशि से पहले वे कार्य ही पूर्ण कराये जायेंगे जिससे भवन पूर्ण करके उपयोग हेतु स्थानान्तरण की स्थिति में आ सके।

3– स्वीकृत की गयी धनराशि के विपरीत व्यय की गयी धनराधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह धनराशि दिनांकः 31.03.2011 तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी। व्यय मात्र उन्ही योजना/कार्यो पर किया जायेगा जिन कार्यो हेतु यह स्वीकृत किया जा रहा है। पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के बाद ही स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की जायेगी।

4– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

5– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

7– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

10– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:2047/XIV-219(2006)दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग 06–उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हेतु भवन निर्माण–00, 24–बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या: 249/XXVII(I)/2010 दिनांक: 04 मई 2010 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1588/VII-II-10/151–ख/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव वित्त(बजट)/नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
6. उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण विंग उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।